सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 604 / सो.आ.नि.–318 / 2014
दिनाँकः 19 फरवरी, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **सोशल आडिट टीमों को प्रपत्र सो.आ.–। तथा सो.आ.–।। पर सूचना उपलब्ध कराना।**

महोदय,

सोशल आडिट विषयक भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मनरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली–2011 के नियम–7 में यह व्यवस्था है कि सोशल आडिट सम्पन्न कराने हेतु ग्राम पंचायतों तथा कार्यदाई संस्थाओं द्वारा अभिलेख सोशल आडिट टीमों को ग्रामसभा की खुली बैठक के 15 दिन पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दिए जाएं। इसका दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का है। यह ज्ञातव्य है कि सोशल आडिट प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए प्रपत्र सो. आ.–। एवं सो.आ.–।। पर ग्रामसभा एवं कन्वर्जेन्स विभागों द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। कार्यों का विवरण प्राप्त होने के उपरान्त ही उनकी प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति, व्यय के अभिलेख तथा अन्य सूचनाओं के मिलान से यह पुष्टि हो सकती है कि सभी कार्यों के अभिलेख उपलब्ध कराए गए हैं। प्रपत्र सो.आ.–। तथा सो.आ.–।। पर सूचना न देने से यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि सभी कार्यों के अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनवरी, 2014 तक प्रस्तावित 11753 ग्राम पंचायतों में से 3513 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट केवल इसलिए स्थगित करना पड़ा कि उन्हें ग्राम पंचायतों एवं विशेषकर कार्यदाई संस्थाओं द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत कराए गए कार्यों से सम्बन्धित सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।

2– इस सम्बन्ध में दिनांक 05 फरवरी, 2014 को ''सोशल आडिट की गुणवत्ता में अभिवृद्धि एवं संचेतना'' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ने यह अपेक्षा की है कि सोशल आडिट टीमों को समय से अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3– अतः अनुरोध है कि कृपया इस बात की समीक्षा कर लें कि आपके जनपद में कितनी ग्राम पंचायतों, जिन्हें सोशल आडिट हेतु चयनित किया गया था, से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र सो.आ.–। तथा सो.आ.–।। पर सोशल आडिट टीमों को नहीं उपलब्ध कराई गई। उक्त प्रपत्रों पर सूचना न उपलब्ध कराए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों का

स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए सूचना न उपलब्ध कराने के लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः 604 / सो.आ.नि.–318 / 2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।